संख्या-881/2026/1800/22-2-2024-17(703)/2025

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 03 जुलाई, 2026

विषयः- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विपिन कुमार मिश्र पुत्र श्री राधेश्याम मिश्र, निवासी जनपद-जौनपुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-30216/प्रोबे0-5-दया0/बैठक दिनांक 16.09.2024, दिनांक 07.10.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विपिन कुमार मिश्र पुत्र श्री राधेश्याम मिश्र (दिनांक 15.11.2023 तक 41 वर्ष 09 माह 03 दिन), जो ग्राम-रायपुर, थाना-बदलापुर, जनपद-जौनपुर का निवासी है। अंकुल यादव का पूजा मिश्र के साथ अवैध सम्बन्ध होने के कारण दिनांक 12.07.2017 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी डण्डा से मारकर अंकुल यादव की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण संख्या-89/2018 में भा०द०वि० की धारा-304(1)/34 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट, रेप केसस तृतीय, जौनपुर के आदेश दिनांक 04.04.2022 द्वारा 10 वर्ष सश्रम कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 15.11.2023 तक अपरिहार 06 वर्ष, 04 माह, 02 दिन तथा सपरिहार 06 वर्ष, 06 माह 27 दिन की सजा भोगी गयी है।

पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, जौनपुर द्वारा बंदी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरूद्ध करने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति की आख्यानुसार बन्दी की 41 वर्ष, 09 माह, 03 दिन की आयु एवं 10 वर्ष के कारावास के सापेक्ष दिनांक 15.11.2023 तक अपरिहार 06 वर्ष, 04 माह, 02 दिन तथा सपरिहार 06 वर्ष, 06 माह, 27 दिन की भोगी गयी सजा के सापेक्ष समयपूर्व रिहाई होने पर समाज में प्रतिकूल सन्देश जाने तथा तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, जौनपुर द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विपिन कुमार मिश्र (बन्दी संख्या-129/2023) पुत्र श्री राधेश्याम मिश्र, निवासी जनपद-जौनपुर की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-881/2026/1800(1)/22-2-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जौनपुर।

2- पुलिस अधीक्षक, जौनपुर।

3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।

4- निजी सचिव, मा0 मंत्री/ मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।